

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद, उ०प्र०

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/फिरोजाबाद/2019-20/10/49

दिनांक 11-03-2020

विषय- दिनांक 26.02.2020 से 27.02.2020 तक राज्य स्तरीय दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड ई०/2018-19/18/7999-2 दिनांक 20.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय दल डा० ताबिन्दा ख्वाजा, उपमहाप्रबन्धक-डी०एच०एस०, डा० प्रिया वैश्य, परामर्शदाता-डी०एच०एस० एवं डा० अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिनांक 26.02.2020 से 27.02.2020 तक जनपद फिरोजाबाद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आयी कमियों के सुधार हेतु भ्रमण आख्या में आवश्यक सुझाव दिये गये हैं। (भ्रमण आख्या संलग्न)

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ फिरोजाबाद/2019-20/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद फिरोजाबाद।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मण्डल आगरा।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ संलग्न आख्या का अनुपालन करा कर ससमय अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा० ताबिन्दा ख्वाजा)
उपमहाप्रबन्धक, डी०एच०एस०

जनपद फिरोजाबाद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता अधिकारी— डा० ताबिन्दा ख्वाजा, उपमहाप्रबन्धक—डी०एच०एस०, एस०पी०एम०यू०—एन०एच०एम० लखनऊ।
 डा० प्रिया वैश्य, परामर्शदाता—डी०एच०एस० एस०पी०एम०यू०—एन०एच०एम० लखनऊ।
 डा० अभिषेक कुमार श्रीवास्तव कार्यक्रम समन्वयक,—डी०एच०एस० एस०पी०एम०यू०—एन०एच०एम० लखनऊ।
भ्रमण दिनांक — 26/02/2020 से 27/02/2020 तक।

पर्यवेक्षण बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	दायित्व
एस०एन०एम० जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद		
डायलिसिस यूनिट		
बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण एवं निस्तारण गाइडलाईन के अनुसार कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उपस्थित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट के उचित पृथक्करण एवं निस्तारण की जानकारी नहीं थी। बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्टर पर उचित रूप से भरा नहीं जा रहा था।	सभी स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट के उचित पृथक्करण एवं निस्तारण की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कराने का सुझाव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पी०पी०पी० मोड पर संचालित डायलिसिस यूनिट के आर०ओ० प्लान्ट से लगभग 2 माह से पानी का रिसाव हो रहा था।	डायलिसिस यूनिट के आर०ओ० प्लान्ट को तत्काल ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
बायो केमिस्ट्री लैब		
कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं थे। अतः बायो मेडिकल वेस्ट का पृथक्करण एवं निस्तारण उचित रूप से नहीं हो रहा था।	कलर कोडेड डस्टबिन व्यवस्थित रूप से रखने एवं उनका उचित पृथक्करण एवं निस्तारण करने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
कई दिनों की प्रयोग हुई ब्लड सैम्पल की स्लाइड को शौचालय में एकत्रित किया जा रहा था। शौचालय में सफाई का अभाव था।	सभी प्रयोग हुई ब्लड सैम्पल स्लाइड को 48 घण्टे के अन्दर ही उनका निस्तारण सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

सी0एस0एस0डी0		
वोबीडिक टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग नहीं किया जा रहा था।	वोबीडिक टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पोषण पुनर्वाश केन्द्र		
सफाई का अभाव था। वार्ड में पर्याप्त स्थान नहीं है एवं मरीज के साथ कई तीमारदार वार्ड में थे।	पोषण पुनर्वाश केन्द्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया एवं 1 मरीज के साथ 1 ही तीमारदार वार्ड में ठहरने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- खैरगढ, फिरोजाबाद

लेबर रूम		
केस शीट उचित रूप से नहीं भरी जा रही थी। नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क केस शीट पर नहीं लिये जा रहे थे। चिकित्सकों/स्टाफ नर्स द्वारा केस शीट पर डिलेवरी नोटस अंकित नहीं किये जा रहे थे डिस्चार्ज डेट एवं समय किसी भी केस शीट पर अंकित नहीं थे।	केस शीट उचित रूप से भरे जाने, नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क सभी केस शीट पर लिया जाना सुनिश्चित कराने एवं सभी केस शीट पर डिलेवरी नोटस अंकित करने तथा डिस्चार्ज का दिनांक एवं समय अंकित कराने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित नहीं किये जा रहे थे।	ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
डाइट रजिस्टर मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया।	भोजन वितरण गाइडलाइन के अनुसार ही किये जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर उचित रूप से नहीं भरे जा रहे थे।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर उचित रूप से भरने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

लैब		
बायोमेडिकल वेस्ट का प्रथककरण उचित रूप से नहीं किया जा रहा था। पंचर प्रूफ बाक्स उपलब्ध नहीं थे। आई0ई0सी0 मटेरियल उचित रूप से प्रदर्शित नहीं थे।	पंचर प्रूफ बाक्स उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रथककरण एवं निस्तारण का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई		
जे0एस0वाई0 के अर्न्तगत लाभार्थियों के भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा था, एम0सी0टी0एस0 नं0 नहीं भरे जा रहे थे अथवा गलत भरे जा रहे थे, लाभार्थियों के मोबाइल नं0 नहीं भरे जा रहे थे अथवा गलत भरे जा रहे थे एवं लाभार्थियों के खाता सं0 अंकित नहीं किये जा रहे थे।	जे0एस0वाई0 के रजिस्टर उचित रूप से भरने तथा लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 नं0, मोबाइल नं0 तथा खाता संख्या उचित रूप से अंकित करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर0बी0एस0के0		
आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा बताया गया कि 868 चिन्हित बच्चों को उपचार हेतु रेफर किया गया जिसमें से 831 बच्चों का उपचार किया जा चुका है एवं शेष का फालोअप किया जाना था।	आर0बी0एस0के0 टीम को जिन बच्चों का उपचार नहीं हो पाया है उनको फालोअप करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जसराना		
बायोमेडिकल वेस्ट का पृथकरण एवं निस्तारण उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।	चिकित्सा अधीक्षक से बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण एवं निस्तारण गाइडलाईन के अनुसार कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
एन0सी0डी0 क्लीनिक बन्द था	एन0सी0डी0 क्लीनिक को सुचारु रूप से चलाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
केन्द्र पर दन्त सर्जन की तैनाती है परन्तु डेन्टल चेयर उपलब्ध नहीं था अतः दन्त रोग से सम्बन्धित कोई भी उपचार नहीं किया जा रहा था।	केन्द्र पर डेन्टल चेयर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कोल्ड चैन रूम में एक डीप फ्रीजर 2 माह से क्रियाशील नहीं था।	कोल्ड चैन रूम में डीप फ्रीजर तत्काल सही कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जे0एस0वाई0 रजिस्टर उचित रूप से नहीं भरे जा रहे थे। लाभार्थियों के खाता सं0 अंकित नहीं किये जा रहे थे।	जे0एस0वाई0 रजिस्टर उचित रूप से भरने एवं लाभार्थियों के खाता सं0 अंकित कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
30 शैय्या मैटरनिटी विंग		
ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित नहीं किये जा रहे थे। केस शीट उचित रूप से नहीं भरी जा रही थी। नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क केस शीट पर नहीं लिये जा रहे थे।	ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित करने का सुझाव दिया गया एवं नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क केस शीट पर लिया जाना सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
टीकाकरण रजिस्टर उचित रूप से नहीं भरे जा रहे थे। टीकाकरण रूम में कलर कोडेड डस्टबिन नहीं रखे थे। बायो मेडिकल वेस्ट को एक ही बिन में रखा जा रहा था।	टीकाकरण रजिस्टर उचित रूप से भरने एवं टीकाकरण रूम में कलर कोडेड डस्टबिन रखने तथा उनका पृथक्करण एवं निस्तारण उचित रूप से करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगला बरी, फिरोजाबाद		
ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित नहीं किये जा रहे थे। केस शीट उचित रूप से नहीं भरी जा रही थी। नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क सभी केस शीट पर नहीं लिये जा रहे थे। एवं डिसचार्ज दिन एवं समय अंकित नहीं किये जा रहे थे। अभिभावकों के हस्ताक्षर नहीं लिए जा रहें थे।	केस शीट उचित रूप से भरे जाने, ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित करने एवं नवजात शिशुओं के रिसीविंग मार्क सभी केस शीट पर लिया जाना सुनिश्चित करने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया। तथा सभी केस सीट पर अभिभावकों के हस्ताक्षर लिए जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
टीकाकरण रजिस्टर उचित रूप से नहीं भरे जा रहे थे।	टीकाकरण रजिस्टर उचित रूप भरने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

भ्रमण उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, की अध्यक्षता में समस्त नोडल अधिकार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व अन्य कार्यक्रम अधिकारियों, एन0एच0एम0 के जनपद अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रमण के उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

Ashish
 4/3/2020
 P.C.
 4/3/2020
 (डी० प्रिया वैद्य)
 परामर्शदाता-डी०एच०एम०
 एम०सी०टी०एस०, एन०एच०एम०
 (डी० सावित्री)
 उपन्यासक-डी०एच०एम०
 एम०सी०टी०एस०, एन०एच०एम०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद, उ०प्र०

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/फिरोजाबाद/2019-20/

दिनांक 16-03-2020

विषय- दिनांक 26.02.2020 से 27.02.2020 तक राज्य स्तरीय दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड ई०/2018-19/18/7999-2 दिनांक 20.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय दल डा० ताबिन्दा ख्वाजा, उपमहाप्रबन्धक-डी०एच०एस०, डा० प्रिया वैश्य, परामर्शदाता-डी०एच०एस० एवं डा० अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिनांक 26.02.2020 से 27.02.2020 तक जनपद फिरोजाबाद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आयी कमियों के सुधार हेतु भ्रमण आख्या में आवश्यक सुझाव दिये गये हैं। (भ्रमण आख्या संलग्न)

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/फिरोजाबाद/2019-20/10149-6 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद फिरोजाबाद।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मण्डल आगरा।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ संलग्न आख्या का अनुपालन करा कर ससमय अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा० ताबिन्दा ख्वाजा)

उपमहाप्रबन्धक, डी०एच०एस०